

झारखण्ड सरकार

उद्योग विभाग

हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय

पत्र संख्या 58 (31/90) / रॉची, दिनांक 10.03.2023

02 / ह0रे0ह0नि0 / बजट(आवंटन)-06-02 / 2021

प्रेषक,

आकांक्षा रंजन
निदेशक,
हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प,

सेवा में,

सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
(संलग्न सूची परिशिष्ट 'क' के अनुसार)

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में रेशम योजना बजट के अन्य क्षेत्र OSP के अन्तर्गत मजदूरी एवं कार्यालय व्यय मद में कुल रू0 20,00,000 /-(बीस लाख रुपये) मात्र का द्वितीय अनुपूरक से प्राप्त राशि का उप आवंटन।

महाशय,

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-55/रॉची, दिनांक 27.02.2023 के आलोक में OSP अन्तर्गत मजदूरी एवं कार्यालय व्यय मद में रेशम योजना अन्तर्गत रेशम प्रक्षेत्र के केंद्रों हेतु कुल रू0 20,00,000 /-(बीस लाख रुपये) मात्र का द्वितीय अनुपूरक से प्राप्त राशि का उप आवंटन निम्नवत आवंटित किया जाता है:-

क0	बजट शीर्ष	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू0 में)
1	2	3	4	5
1	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-107-रेशम उत्पादन	-01-वेतन एवं भत्ते-03-मजदूरी	23S28510010770000103	9.00
2	उद्योग-70- रेशम की विकास की योजना-(स्कीम)-00	-03-प्रशासनिक व्यय-15-कार्यालय व्यय	23S28510010770000315	11.00
कुल योग				20.00

(बीस लाख रुपये) मात्र

- इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 में योजना आय व्ययक 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-107 -रेशम उत्पादन उद्योग-70-रेशम के विकास की योजना (स्कीम)-00- के अंतर्गत विकलित होगा तथा राशि की निकासी हेतु विपत्र पर विपत्र कोड अंकित करना अनिवार्य होगा। केन्द्रवार आवंटित राशि, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं संबंधित कोषागार का ब्योरा परिशिष्ट "क" संलग्न है।
- यह राशि वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट उपबंध एवं आवंटनादेश सं0-34 दिनांक 03.03.2023 के अन्तर्गत है तथा यह आवंटन चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए दिया जाता है।
- राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्र संख्या 2561 पटना दिनांक 17.04.1998, वित्त-4 -23/2003/1800 वि0, रॉची दिनांक 15.07.2003 एवं वित्त-19/वित्तीय नियंत्रण/3001/2015-1681/वि0, दिनांक 10.06.2015 के आलोक में ही की जाएगी एवं उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- आवंटित राशि का व्यय निम्नांकित शर्तों के अनुसार किया जाएगा:-
(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।
(ख) एक इकाई की राशि का व्यय दूसरी इकाई में नहीं किया जाय।

(ग) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग-1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाय ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाये।

(घ) मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 3री (तीसरी) तारीख तक अधोहस्ताक्षरी को अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय।

(ङ) व्यय प्रतिवेदन में प्रत्येक इकाई का व्यौरा अलग-अलग प्रेषित किया जाय।

6. राशि के व्यय में स्वीकृत्यादेश के परिशिष्ट 'क' में निहित व्यय विवरणी का अक्षरशः पालन किया जाएगा।
7. योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1363 दिनांक 09.05.2016 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तदनु रूप आवंटित राशि की निकासी की जाएगी।
8. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-55/राँची, दिनांक 27.02.2023 में निहित प्रावधानों/शर्तों/दिशा निर्देशों/निर्धारित मापदण्डों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाएगा।
9. व्यय सक्षम पदाधिकारी से जहाँ आवश्यक हो से स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाय।
10. ऑनलाईन निर्गत आवंटन की विवरणी संलग्न है, जिसे <http://172.16.20.15/ifmsjhar> पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(आकांक्षा रंजन)

निदेशक,

हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प,

ज्ञापांक 56(31190) / राँची, दिनांक 10.03.2023

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हक0), झारखण्ड, पो0-हिन्नु, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक,

हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प,

ज्ञापांक 56(31190) / राँची, दिनांक 10.03.2023

प्रतिलिपि:- जिला कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गोड्डा, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, गढ़वा, मेदनीनगर (डालटेनगंज), चतरा एवं हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक,

हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प,

ज्ञापांक 56(31190) / राँची, दिनांक 10.03.2023

प्रतिलिपि:- माननीय मु0 (उद्योग) मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, उद्योग के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग (बजट एवं योजना)/उप उद्योग निदेशक (योजना), ह0रे0ह0 निदेशालय, झारखण्ड राँची/सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), राँची, चाईबासा, गिरिडीह एवं दुमका एवं कम्प्यूटर कोषांग, उद्योग निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक,

हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प,

परिशिष्ट 'क'

वित्तीय वर्ष 2022-23 में रेशम केन्द्रों में योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु मजदूरी, कार्यालय व्यय का केन्द्रवार मदवार राशि, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा कोषागार आदि की विवरणी :-

क्र०	केन्द्र का नाम	मजदूरी	कार्यालय व्यय	योग	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	राशि की निकासी हेतु कोषागार का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	अग्र परि० के०, गोड्डा	90000	120000	210000	अग्र परियोजना पदाधिकारी, अग्र परियोजना केन्द्र, गोड्डा	जिला कोषागार, गोड्डा
2	अग्र परि० के०, गोविन्दपुर (धनबाद)	150000	120000	270000	अग्र परियोजना पदाधिकारी, अग्र परियोजना केन्द्र, गोविन्दपुर (धनबाद)	जिला कोषागार, धनबाद
3	अग्र परि० के० बेंगावाद, गिरिडीह	100000	120000	220000	अग्र परियोजना पदाधिकारी, अग्र परियोजना केन्द्र, बेंगावाद	जिला कोषागार, गिरिडीह
4	अग्र परि० के० जगदीशपुर (देवघर)	90000	120000	210000	परियोजना पदाधिकारी, अग्र परियोजना केन्द्र, जगदीशपुर देवघर	जिला कोषागार, देवघर
5	अग्र परि० के० डुमरी, गिरिडीह	90000	120000	210000	अग्र परियोजना पदाधिकारी, अग्र परियोजना केन्द्र, डुमरी (गिरिडीह)	जिला कोषागार, गिरिडीह
6	अग्र परि० के० नगर उटारी	100000	120000	220000	अग्र परियोजना पदाधिकारी, अग्र परियोजना केन्द्र, नगरउटारी (गढ़वा)	जिला कोषागार, गढ़वा
7	अग्र परि० के० चियांकी	100000	120000	220000	अग्र परियोजना पदाधिकारी, अग्र परियोजना केन्द्र, चियांकी(पलामू)	जिला कोषागार, भेदिनीनगर- डालटेनगंज
8	अग्र परि० के० ईटखोरी (चतरा)	20000	20000	40000	परियोजना पदाधिकारी, अग्र परियोजना केन्द्र, ईटखोरी (चतरा)	जिला कोषागार, चतरा
9	अग्र परि० के० हजारीबाग	90000	100000	190000	परियोजना पदाधिकारी, अग्र परियोजना केन्द्र, हजारीबाग	जिला कोषागार, हजारीबाग
10	तसर क्रय विक्रय संगठन, भगैया गोड्डा	20000	40000	60000	क्रय विक्रय पदाधिकारी, तसर क्रय विक्रय संगठन, भगैया गोड्डा	जिला कोषागार, गोड्डा
11	सहायक उद्योग निदेशक (रेशम) गिरिडीह	50000	100000	150000	सहायक उद्योग निदेशक (रेशम) गिरिडीह	जिला कोषागार, गिरिडीह
	योग	900000	1100000	2000000		


 निदेशक
 हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प

(Handwritten initials)